बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या 7/विविध–51/2019 ..../ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अधिसूचना संख्या 2461 दिनांक 28.06.2018 द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च 2010 की अधिसूचना सं०का०आ० 750 (अ). दिनांक 31 मार्च 2010 क अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद् द्वारा इस अधिसूचना की तिथि से पुनः अधिसूचना सख्या फा.सं. 61–03/20/2010/एनसीटीई0(एनएंडएस) दिनांक 23 अगस्त 2010 को भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग III, अनुच्छेद 4, दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की गयी हैः–

(1) उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 1, उप–पैरा (i), अनुच्छेद (ए) में शब्दों ओर कोष्ठकों के बाद "स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो), निम्नलिखित को शामिल किया जाएगाः–

अथवा

"50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी०एड०)"

2. उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 3, उप–पैरा (ए) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा होगाः–

"(ए) जिसने एनसीटीई द्वार मान्यातप्राप्त संस्थान से शिक्षा–स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रुप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रुप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रुप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रुप से पूरा करना होगा।"

चूँकि NCTE के प्रावधान संपूर्ण भारत में लागू हैं। अतः इस आलोक में बिहार पंचायत/नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के नियम 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रावधानों को वर्ष 2019–20 में शिक्षकों के नियोजन के संबंध में, नियमावली के नियम 5 (i) जिसमें कक्षा 1–5 तक के (पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक के बेसिक ग्रेड) में नियोजन हेतु न्यूनतम योग्यता प्रावधानित है, में समाहित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अरशद फिरोज)
उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–7/विविध–51/2019 1097/ पटना, दिनांक– 22.08.19/

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी महापौर, नगर निगम/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष, नगर परिषद्/नगर पंचायत/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा)/सभी प्रमुख, पंचायत समिति/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी मुखिया ग्राम पंचायत/सभी ग्राम पंचायत के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–7/विविध–51/2019 1097/ पटना, दिनांक– 22.08.19/

प्रतिलिपिः–राज्य परियोजन निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी सदस्य, जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार/आप्त सचिव, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–7/विविध–51/2019 1097/ पटना, दिनांक– 22.08.19/

प्रतिलिपिः–आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग